(राजस्थान–सरकार)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या :– 03/2021**

**रजिस्ट्रेशन नं0 :– 2021/403**

**बउनवान**

1– दीपिका पारेता आयु 42 वर्ष पत्नी संजय पारेता जाति कलाल निवासी हरनावदाशाहजी हाल सरपंच ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

2– देवलाल नागर आयु 50 वर्ष पुत्र धन्ना लाल नागर जाति धाकड निवासी ग्राम ढोलम तहसील छीपाबडौद हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हरनारवदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(निगराकार)

**बनाम**

अध्यक्ष श्री गूर्जर गौड ब्राहमण समाज दूलीचन्द पंचौली पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(गैरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92–97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :– 1– श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक (निगराकार)
2– श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक (गैरनिगराकार )

## निर्णय दिनांक 14.07.2022

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार सरकार श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक जिला बारॉ द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 92–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी के संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.10.2014 की अनुपालना मे दिनांक 22.10.2014 को गैरनिगराकर के नाम से भूमि का पट्टा संख्या 4 जारी किया गया है जिसका माप 100 x 100 = 1000 वर्गफीट है जिससे अप्रसन्न होकर निगरानी विरूद्व गैर–निगराकार के इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत निगरानी दिनांक 08.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर–निगराकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ सचिव ग्राम पंचायत, हरनावदाशाहजी से मूल रिकार्ड तलब किया गया जो उनके पत्रांक 189 दिनांक 24.01.2022 से इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ। गैर–निगराकार द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:22 IST
Reason: SelfAttested

निगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि

1. गैरनिगराकार ने दिनांक 13.02.2013 को प्रशासन गांव के संग शिविर मे गूर्जर गौड द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गूर्जर गौड ब्राहमण समाज व गौतम छात्रावास हेतु भूमि का पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा तीन पंचो की कमेटी को गूर्जर गौड ब्राहमण समाज गौतम छात्रावास भूमि का निरीक्षण हेतु नियुक्त किया था। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन वार्ड पंचो के हस्ताक्षर प्रमाणित है परन्तु ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर कही भी अंकित नही

है। जिस पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा गूर्जर गौड ब्राहमण समाज व गौतम छात्रावास भवन हेतु 100 x 100 = 1000 वर्गफिट का पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि रसीद बुक नं0 16 रसीद संख्या 2 दिनांक 22.10.2016 को मात्र 200/– रूपये शुल्क लेकर जारी किया गया है।

2. यह कि दिनांक 01.02.2018 को सहायक लेखा अधिकारी जांच दल द्वारा उक्त पत्रावली की जांच करने पर निधि अंकेक्षण विभाग कोटा के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2012–17/709 दिनांक 01.12.2018 द्वारा उक्त भूमि का पट्टा मापदण्डो के अन्तर्गत ना जारी कर अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने की पुष्टि सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी को निर्देशित करने पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा उक्त पट्टा की जांच करवाने पर निर्धारित मापदण्ड नियम 157 (11) के तहत केवल 300 वर्गगज तक पट्टा जारी करने का प्रावधान है। किन्तु गैरनिगराकार को अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया जिसकी अलग से डी0एल0सी0 दल जारी किये जाने का प्रावधान है क्योंकि नियम 2004 के नियम 58 के ख 3 (क) के अन्तर्गत डी0एल0सी0 दर से 25 प्रतिशत राशि वसूल करने योग्य है। इस बाबत ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा अध्यक्ष गूर्जर गौड ब्राहमण समाज गौत्तम छात्रावास को समय–समय पर नोटिस जारी किये गये जिनका कोई जवाब नही दिया एवं दिनांक 19.11.2021 को ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी की मीटिंग कार्यवाही के समय उपस्थित होने पर अवगत कराया कि आपकी तरफ कानूनी रूप से अधिक भूमि का पट्टा जारी करवाने के बारे मे ऑडिट वसूली राशि 5,65,750/– रूपये जमा करवाई जावे तो अध्यक्ष गुर्जर गौड ब्राहमण समाज गौत्तम छात्रावास भी उपस्थित थे, उन्होने उक्त राशि जमा करवाने से साफ मना कर दिया। इस कारण उक्त पट्टा दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किया जाना विधि संगत एव न्यायहित मे होगा।

3. यह कि गूर्जर गौड ब्राहमण समाज गौत्तम छात्रावास द्वारा उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन नही करवाया है क्योकि वर्ष 2016 के पूर्व के जारी पट्टे नवीनीकरण करवाना जरूरी था जो नही करवाया गया है। इसलिये गैरनिगराकार से बकाया राशि 5,65,750/–रूपये जमा करवाया जाना आवश्यक है या पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है।

4. ग्राम पंचायत की कार्यवाही बैठक दिनांक 19.11.2021 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पट्टाधारी से उक्त राशि वसूलने योग्य है। उक्त राशि जमा नही करवाने पर पट्टा निरस्त हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.11.2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति, छीपाबडौद द्वारा ग्राम पंचायत को पत्र लिखकर पट्टा निरस्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके बाद दिनांक [illegible]21 को विकास अधिकारी पंचायत समिति, छीपाबडौद द्वारा वित्ती[illegible] को भी पत्र प्रेषित किया गया जिसमे भी पट्टा निरस्त करने हेतु कार्यवाही पेश करने का अनुरोध किया गया। इसलिए गैरनिगराकार द्वारा उक्त आबादी भूमि का पट्टा ना तो नवीनीकरण करवाया गया है और ना ही उक्त बकाया राशि जमा करवायी है। ऐसी स्थिति मे गैरनिगराकार गूर्जर गौड ब्राह्मण समाज गौत्तम छात्रावास के नाम जारी पट्टा निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा।

5. यह निगरानी कानून मे निहित प्रावधान के तहत प्रस्तुत है इस कारण निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:22 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि पट्टा जारी दिनांक 20.10.2014 से ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा पंचायती राज जयपुर मे दस्तावेज कमांक 5005–10 दिनांक 18.11.2021 की पालना मे ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी पंचायत छीपाबडौद द्वारा दिनांक 24.11.2021 को मुख्यालय मे दस्तावेज प्रस्तुत करने तक का समय निगरानी मे मुजरा किये जाने पर निगरानी अवधि मध्य पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि गूर्जर गौड ब्राहमण समाज गौत्तम छात्रावास के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 20.10.2014 निरस्त किये जाने का आदेश पारित करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

**गैरनिगराकार के अभिभाषक** द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि निगरानी की मद नं0 1 स्वीकार है, परन्तु निगराकार ने निगरानी के साथ आवंटन प्रक्रिया की पट्टा जारी की आदेशिका का रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी श्रवण किये जाने योग्य नही है।

यह कि निगरानी की मद नं0 2 कानूनी है, जिससे वैधानिक प्रावधानों की पालना का दायित्व निगराकार पर था, उसके लिए गैर निगराकार को जिम्मेदार नही माना जा सकता। यह कि निगरानी की मद नं0 3 अस्वीकार है, क्योकि नवीनीकरण बाबत निगराकार ने अभी तक कोई नोटिस गैर निगराकार को जारी नही किया है। यह कि निगरानी की मद नं0 4 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है, क्योकि आवंटन के सात वर्ष बाद निगराकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है तो प्रभावशून्य है एवं उस रिकार्ड की प्रति माननीय न्यायालय मे निगरानी के साथ पेश होने पर ही जवाब दिया जाना संभव है। यह कि निगरानी की मद नं0 5 व 6 अस्वीकार है। यह कि निगरानी की मद नं0 7 कानूनी है। यह कि निगरानी की मद नं0 8 औपचारिक है।

यह कि निगराकार द्वारा निगरानी मे वर्णित तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान को निगरानी को श्रवण करने का एवं पट्टा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नही है, जिससे निगरानी को निरस्त करना विधिक संगत एवं न्याय हित मे होगा। पंचायत एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही एवं ऑडिट निरीक्षण के आधार पर जारी आदेशो व निर्देशो की पालना की कार्यवाही एक साथ करना विधि संगत नही है क्योंकि दोनो कार्यवाही अलग–अलग है। वर्ष 2014 मे जारी पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही 7 वर्ष बाद माननीय न्यायालय जरिये निगरानी पेश करना बाधित है। निगराकार कौनसे प्रावधान मे आये है, ग्राम पंचायत अपने आदेश के विरूद्व अपील मे कैसे आ सकती है ? प्रकरण ऑडिट द्वारा निकाली गई राशि वसूली का है इसके लिये पी.[illegible] एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये थी। उक्त भूमि पर एम.एल.ए. कोटे से नि[illegible] कर दिया है। जिसकी स्वीकृति ली गई है। प्रकरण समय सीमा से बाहर प्रस्तुत कि[illegible] गया है। निरीक्षण मे सरपंच के हस्ताक्षर नही है। प्रकरण मे ग्राम [illegible] कि 157/11 के तहत 300 वर्गगज तक का ही प्टटा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार को पैसा जमा करवाये जाने हेतु आदिनांक तक नोटिस जारी नही किया गया। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी को निरस्त करना विधि संगत होगा क्योकि आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। अतः इस न्यायालय मे प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:22 IST
Reason: SelfAttested

**प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण** की बहस सुनी गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद से प्राप्त मूल रिकार्ड पट्टा विलेख, प्रस्ताव रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया।

**परिणामस्वरूप** निगराकार द्वारा गैरनिगराकार के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। गैरनिगराकार यदि निधि अंकेक्षण विभाग कोटा द्वारा ऑडिट रिपोर्ट मे निकाली गई वसूली राशि 5,65,750/– रूपये इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक से अन्दर एक माह (30 दिन) मे ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी मे जमा करवाई जाकर रसीद प्राप्त कर लेता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार अध्यक्ष श्री गूर्जर गौड ब्राहमण समाज गौत्तम छात्रावास दूलीचन्द्र पंचौली पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद के नाम जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 22.10.2014 माप 100 x 100 = 10000 वर्गगज यथावत रहेगा। यदि गैरनिगराकार द्वारा ऑडिट रिपोर्ट मे निकाली गई वसूली राशि उक्त अवधि मे जमा नही करवाई जाती है, तो ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार के नाम जारी पट्टा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **14.07.2022** को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:22 IST
Reason: SelfAttested